**विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 02 जून, 2009 को अपराहन 10.30 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 33वीं बैठक का कार्यवृत्त**

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की तैंतीसवीं (33वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 02 जून, 2009 को पूर्वाहन 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 568 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 315 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि इस अल्प अवधि के दौरान एसईजेड में 1,08,903 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 3,87,439 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान एसईजेड से 99,689 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2007-08 के दौरान किए गए निर्यात की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक है।

**मद संख्या 33.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव**

**(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :**

**1. ग्राम वेंकटाला एवं कट्टीगेनहल्ली, येलहांका होबली, बंगलौर, कर्नाटक में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक i) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम वेंकटाला एवं कट्टीगेनहल्ली, येलहांका होबली, बंगलौर, कर्नाटक में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**2. ग्राम कुंडलहल्ली एवं नल्लुराहल्ली, केआर पुरम होबली, बंगलौर, कर्नाटक में 10.95 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक ii) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि विकासक द्वारा प्रस्तुत पिछले मैप से

पता चलता है कि प्रस्तावित भूमि संस्पर्शी नहीं है। तथापि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को बताया कि अब भूमि संस्पर्शी हो गई है। विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए नए मैप के अनुसार प्रस्तावित भूमि खाली प्रतीत होती है। विकास आयुक्त की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। यह भी समुक्ति की गई कि गृह मंत्रालय ने अभी तक सहमति प्रदान नहीं की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम कुंडलहल्ली एवं नल्लुराहल्ली, केआर पुरम होबली, बंगलौर, कर्नाटक में 10.95 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को अधिसूचना से पूर्व सन्निकटता स्थापित किए जाने की शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**3. इंदुपुर, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 28.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बायोटेक एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स रियल गृह निर्माण प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक iii) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय ने अभी तक सहमति प्रदान नहीं की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इंदुपुर, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 28.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स रियल गृह निर्माण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बायोटेक एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**4. ग्राम चेंगमनाडु, अलवई, केरल में 11.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एम एम टेक टावर्स का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक v) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि केरल में भूमि कब्जा विनियम के अनुसार कोई व्यक्ति या कंपनी फ्री होल्ड भूमि के रूप में 15 एकड़ से अधिक भूमि का धारक नहीं हो सकती है और तद्नुसार संपूर्ण भूमि समान प्रबंधन के अधीन स्वतंत्र कंपनियों के कब्जे में है और 100 प्रतिशत इक्विटी स्वामित्व परिवार के सदस्यों तथा श्री राय एम मैथ्यू नामक एक व्यक्ति के पास है। सभी तीन कंपनियों के निदेशक समान हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम चेंगमनाडु, अलवई, केरल में 11.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एम एम टेक टावर्स के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि अधिसूचना से पूर्व स्वामित्व का सुनिश्चय किया जाए।

**5. चेंगमनाड़ु, अलवई, केरल में 12.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी संबद्ध एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक ii) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि मैप से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तावित एसईजेड से कोई नदी गुजर रही है। तथापि, विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए मैप के अनुसार, नोट किया गया कि नदी प्रस्तावित भूमि के बाहर है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि केरल में भूमि कब्जा विनियम के अनुसार कोई व्यक्ति या कंपनी फ्री होल्ड भूमि के रूप में 15 एकड़ से अधिक भूमि का धारक नहीं हो सकती है और यह भी नोट किया गया कि विकासक ने एम्मार एमजीएफ की पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के नाम में भूमि पंजीकृत किया था तथा उनकी पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के नाम में बिक्री विलेख भी प्रदान किया था। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चेंगमनाड़ु, अलवई, केरल में 12.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी संबद्ध एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड के प्रस्ताव को भूमि के संस्पर्शी होने की शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि अधिसूचना से पूर्व ऐसे लेनदेन एवं स्वामित्व तथा सन्निकटता के संबंध में कानूनी स्थिति सुनिश्चित की जाए।

**6. पथार्डी, तालुक चिपलून, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र में 10.36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स यशप्रभा एंटरप्राइजेज का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक xv) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने पहले 19.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। चूंकि 10 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता वाले क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में कोई सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है इसलिए 1 मई 2008 को आयोजित बैठक में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अब 10.36 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है। महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि 10.36 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पथार्डी, तालुक चिपलून, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र में 10.36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स यशप्रभा एंटरप्राइजेज के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**7. पोवई, मुंबई, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक xvii) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्तावित भूमि खाली नहीं है। तथापि, सदस्य सचिव, अनुमोदन बोर्ड ने रिक्तता की हाल की परिभाषा की ओर अनुमोदन बोर्ड का ध्यान आकृष्ट किया जिसके अनुसार रिक्त भूमि का अभिप्राय ऐसी भूमि से है जहां कोई क्रियाशील पोर्ट, क्रियाशील यूनिट, औद्योगिक गतिविधियां या संरचना नहीं है जिसमें कोई वाणिज्यिक या आर्थिक गतिविधि चल रही है। बताया गया कि 3 छोटे संस्थान हैं जिनकी इमारतों की हालत अच्छी है जिसे विकासक प्रसंस्करण क्षेत्र की गतिविधियों में सहायता प्रदान करने लिए गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त करना चाहता है। इनमें से दो संस्थानों के बारे में बताया गया है कि उनमें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ इन संस्थाओं के निरंतर प्रयोग की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी बताया है कि यदि इस पर सहमति संभव नहीं है तो वे जून 2011 तक संस्थाओं को एसईजेड के बाहर शिफ्ट कर देंगे। विकासक ने यह भी वचन दिया है कि प्रस्तावित एसईजेड में कोई वाणिज्यिक प्रचालन नहीं चल रहा है। यह भी नोट किया गया कि प्रस्तावित एसईजेड के ऊपर से एक फ्लाईओवर गुजर रहा है। विकासक ने पुष्टि की है कि फ्लाई ओवर के नीचे का क्षेत्र पीडब्ल्यूडी विभाग, महाराष्ट्र सरकार से 30 साल के पट्टा पर लिया गया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि प्रस्तावित एसईजेड का कुल क्षेत्रफल न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता को पूरा करता है तथा विकासक के कब्जे में है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पोवई, मुंबई, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के प्रस्ताव को भूमि के संस्पर्शी होने तथा न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता की पूर्ति के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि औपचारिक अधिसूचना तब जारी की जाएगी जब विकास आयुक्त, एसईईपीजेड परिसरों के समुचित निरीक्षण के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि सुनिश्चित हो कि प्रशिक्षण किसी वाणिज्यिक गतिविधि के बगैर केवल विकासक के लिए है और इस प्रकार रिक्ती की आवश्यकता पूरी हो रही है। रिपोर्ट सीबीईसी के साथ भी साझा की जाएगी।

**8. कालमसेरी, कोच्चि, केरल में 10.1175 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स सुतरलैंड ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 33.2 - क्रमांक i) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और कालमसेरी, कोच्चि, केरल में 10.1175 में मैसर्स सुतरलैंड ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

**(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :**

**1. चिल्लाकूर एवं कोटा मंडल, आंध्र प्रदेश में 1062 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कृष्णापट्टनम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक iv) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने चिल्लाकूर एवं कोटा मंडल, आंध्र प्रदेश में 1062 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स कृष्णापट्टनम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**2. ग्राम तलोशी, तालुक इगतपुरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र में 106.755 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स महाराजा मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक xvi) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम तलोशी, तालुक इगतपुरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र में 106.755 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स महाराजा मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(ग) आस्थगन के लिए निर्णय :**

**1. ग्राम एरुतेनपती, पालक्काड जिला, केरल में 10.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अगस्त्य बायोफर्मा इंडिया लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक vii) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। तथापि, राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम एरुतेनपती, पालक्काड जिला, केरल में 10.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अगस्त्य बायोफर्मा इंडिया लिमिटेड के प्रस्ताव को राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त होने तक आस्थगित करने का निर्णय लिया।

**2. प्लाट नंबर 5, सेक्टर 143ए, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में 10.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स उड़ान इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक xi) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने अभी तक भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया है। केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त हुई। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि 10 हेक्टेयर के क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्रों को कोई सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लाट नंबर 5, सेक्टर 143ए, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में 10.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स उड़ान इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को नोएडा प्राधिकरण से औपचारिक कब्जा दस्तावेजों के प्राप्त होने तक आस्थगित करने का निर्णय लिया।

**3. ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वी सी इंफोसोफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक xii) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने अभी तक भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया है। केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त हुई। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि 10 हेक्टेयर के छोटे क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्रों को कोई सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वी सी इंफोसोफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को नोएडा प्राधिकरण से कब्जा के औपचारिक दस्तावेजों की प्राप्ति तक आस्थगित करने का निर्णय लिया।

**(ग) अस्वीकृति के लिए निर्णय :**

**1. अमृतसर, पंजाब में 10.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स बुलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक viii) :**

**2. छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश में 171 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मुर्गीपालन के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वीकेएस फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक ix) :**

**3. ग्राम अतीमारतु, डाकघर राजमपट्टी, पलानी तालुक, डिंडुकल जिला, तमिलनाडु में 170 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कृषि खाद्य प्रसंस्करण सहित मुर्गीपालन के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वीकेएस फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक x) :**

**4. मनीदीप, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चावल खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स दावत फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक xiii) :**

**5. राजपुरा, अमृतसर, पंजाब में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चावल खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स रघुनाथ एग्रो इंडस्ट्रीज का अनुरोध (मद संख्या 33.1 - क्रमांक xiv) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उपर्युक्त सभी 5 मामले हर दृष्टि से समान हैं क्योंकि वे कृषि / कुक्कुट प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित हैं। सभी प्रस्तावों में विकासक 10 हेक्टेयर की भूमि में मुख्य प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित करना चाहता है जो क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों से काफी कम है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इन प्रस्तावों पर मेरिट के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है और एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली में छूट के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष रखना पड़ सकता है। चूंकि यह कार्य समय साध्य होगा, इसलिए इन प्रस्तावों को अस्वीकार करना होगा। जब इन क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में क्षेत्रफल की आवश्यकता से संबंधित मुद्दे में छूट प्रदान की जाएगी तब उन पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

**मद संख्या 33.3 : अपने एसईजेड में अनेक प्रवेश द्वार के संबंध में मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड का अनुरोध**

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक के दौरान भी उन्होंने तीसरे फाटक के संबंध में अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया था और तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड केवल दो फाटकों के लिए राजी हुआ था। इसके बाद, विकासक को अस्थायी आधार पर तीसरे फाटक का प्रचालन करने की अनुमति दी गई। राजस्व विभाग अब भी तीसरे फाटक के लिए राजी नहीं है। विचार विमर्श के बाद, चूंकि अनुमोदन बोर्ड के स्तर पर मुद्दे का समाधान नहीं हो सका, इसलिए निर्णय लिया गया कि वाणिज्य विभाग निर्णय के लिए इस मुद्दे को ईजीओएम के समक्ष रखेगा।

**मद संख्या 33.4 : सह विकासकों के लिए अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर

निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह नीचे उल्लिखित सह विकासकों के सभी मामलों पर लागू है :

**(i) मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा उथुकुली, पेरुंदुरई जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रेट इंडियन लिनेन एंड इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि शुरू में प्रस्तुत किए गए सह विकासक करार में विचार करने के लिए कोई उपबंध नहीं था। हालांकि सह विकासक ने एक उपयुक्त उपबंध शामिल करके करार को संशोधित किया है, यह नोट किया गया है कि करार की तिथि पहले जैसी अर्थात 24 मार्च 2008 ही है। यह भी देखा गया कि करार को दो बार संशोधित करने के बावजूद यही तिथि रखी गई है। राजस्व विभाग का प्रतिनिधि यह आश्वस्त होना चाहता था कि तिथि में परिवर्तन न होने का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि की यह राय थी कि इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है यदि मूल करार में यह उपबंध हो कि अगले संशोधन भी करार की मूल तिथि से प्रभावी होंगे। मद को आस्थगित करने तथा एक नया संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए विकासक से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

**(ii) आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन द्वारा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सिंबायोसिस टेक्नोलॉजी का अनुरोध**

**(iii) आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन द्वारा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स महाथी साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

**(iv) आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन द्वारा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स नुनेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि सभी तीन प्रस्तावों के संबंध में रियायती दरों पर भूमि प्रदान की गई तथा इन संस्थाओं से स्पष्ट वचन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनको प्रदान की गई भूमि की सब लीजिंग / रेंटिंग नहीं होगी। आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि को बताया गया कि आंध्र प्रदेश सरकार तथा इन संस्थाओं के बीच भूमि के लिए एमओयू ऐसा मामला नहीं है जो अनुमोदन बोर्ड के दायरे में आता है। यदि आंध्र प्रदेश सरकार की यह राय है कि उल्लंघन हुए हैं तो उनको अलग से जांच करनी होगी। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि अस्वाभाविक परिस्थितियों में इन संस्थाओं को सह विकासक एवं यूनिट दोनों के रूप में विचार किया गया है। सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्तावित सह विकासक वास्तव में यूनिट का मौजूदा आवंटी है तथा प्रस्तावित सह विकासक उस क्षेत्र का विकास करेगा जो उसे एसईजेड में आवंटी के रूप में पहले ही

आवंटित किया जा चुका है। आयकर लाभों की गणना करते समय ये संस्थाएं स्वतंत्र होनी चाहिए या उनको यूनिट या सह विकासक के रूप में आयकर लाभों का दावा करना चाहिए। अनुमोदन बोर्ड की यह राय थी कि सह विकासक और यूनिट के कार्य अलग अलग हैं तथा अलग से लेखांकित किए जा सकते हैं। तद्नुसार, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में सभी तीन संस्थाओं को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

2 एकड़ (0.81 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल में सह विकासक के लिए मैसर्स सिंबायोसिस टेक्नोलॉजीज

2 एकड़ के क्षेत्रफल में सह विकासक के लिए मैसर्स महती साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

3 एकड़ (1.21 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल में सह विकासक के लिए मैसर्स नूनेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

**(v) मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोयंबटूर, तमिलनाडु में स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स रतिनाम अरुमुगम रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन (रेयर) का अनुरोध**

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव की जांच करने के लिए कुछ और समय प्रदान करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स रतिनाम अरुमुगम रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन (रेयर) के अनुरोध को आस्थगित कर दिया।

**मद संख्या 33.5 : मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विद्युत की आपूर्ति के लिए एसईजेड में विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध**

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि की यह राय थी कि राज्य सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन में और वृद्धि करने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने संख्या पी6/3/2006-एसईजेड1 दिनांक 27 फरवरी 2009 के तहत वाणिज्य विभाग द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विद्युत की आपूर्ति के लिए एसईजेड में विद्युत उत्पादन की क्षमता 2640 मेगावाट से बढ़ाकर 5200 मेगावाट करने के लिए मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 33.6 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान करते समय ये 24 अक्टूबर, 2008 को आयोजित बैठक में ईजीओएम द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन थे जिन्हें 8 दिसंबर, 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तद्नुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

**(i) हुडी गांव, के आर पुरम, बंगलौर में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में) |
|---|---|---|---|
| 1. | आवासीय अपार्टमेंट | 14000 | प्रत्येक 100 वर्गमीटर की 140 यूनिट |
| 2. | सर्विस अपार्टमेंट | 14000 | प्रत्येक 100 वर्गमीटर की 140 यूनिट |
| 3. | रिटेल / शॉपिंग / ऑफिस / बैंक | 14000 | 14000 |
| 4. | फूड कोर्ट / रेस्टोरेंट / कॉफी शॉप | 5000 | 5000 |
| 5. | मनोरंजन | 2000 | 2000 |
| 6. | कर्मचारी कल्याण सुविधा - चिकित्सा केन्द्र | 1000 | 1000 |
| 7. | विद्युत उत्पादन | | 75 मेगावाट |

मल्टीप्लेक्स के लिए अनुरोध को मंजूरी प्रदान नहीं की गई।

**(ii) कक्कानाड, एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इनफोपार्क का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन | अनुरोध की गई मात्रा | अनुमोदित मात्रा |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | अतिथि गृह | 25,000 वर्गफीट | प्रत्येक 1000 वर्गफीट के 25 अतिथि गृह |

**(iii) नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मेन गेट के अंदर आवश्यक साजोसामान के साथ 16 X 3 के प्लेटफार्म पर इंस्टाल करने के लिए 100 मीट्रिक टन क्षमता के तौल सेतु के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(iv) तहसील और जिला झर्सुगुडा, ओडिशा में एल्युमिनियम एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड का अनुरोध**

मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड द्वारा तहसील और जिला झर्सुगुडा, ओडिशा में एल्युमिनियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10.3092 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 16 फरवरी 2009 को अधिसूचित किया गया। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अधिकृत प्रचालन</th><th>अनुरोध की गई मात्रा</th><th>अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा पुलिस चौकियां</td><td>600</td><td>600</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कार्यालय स्थान एवं भवन</td><td rowspan="7">28000</td><td rowspan="7">28000</td></tr>
<tr><td>(क)</td><td>बस बे, वाहन पार्किंग</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>पारस्परिक संयोजकता एवं ईडीपी के साथ सामान्य डाटा केन्द्र</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि क्रेच, चिकित्सा केन्द्र</td></tr>
<tr><td>(ङ)</td><td>कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस</td></tr>
<tr><td>(च)</td><td>प्रशिक्षण केंद्र</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>प्राथमिक उपचार</td><td>200</td><td>200</td></tr>
</table>

बैंकों की आवश्यकताओं के आधार पर एटीएम के लिए अनुरोध पर अलग से विचार किया जाएगा।

प्रसंस्करण क्षेत्र

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन | अनुरोध की गई मात्रा | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में) |
|---|---|---|---|
| 1. | फायर स्टेशन, स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम | शून्य | फायर प्लान के अनुसार |
| 2. | रेल हेड (रेलवे साइडिंग), डिस्पैच लोडिंग आदि | 67000 | 67000 |
| 3. | व्यक्तिगत प्रयोग के लिए विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित) | शून्य | इलेक्ट्रिक प्लान के अनुसार |

**(v) जिला कच्छ, गुजरात में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स अडानी पावर्स लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि उक्त एसईजेड में सह विकासक द्वारा अनुरोध किए गए अधिकृत प्रचालनों को अनुमोदन बोर्ड द्वारा पहले मंजूरी प्रदान की गई थी। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि प्रसंस्करण क्षेत्र में इन अधिकृत प्रचालनों का अनुरोध किया गया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सूचित किया कि निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए पिछला अनुमोदन अभी भी मान्य है :

(i) फायर स्टेशन और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
(ii) कामगार कैंटीन, कैफेटेरिया, चिकित्सा केन्द्र जैसी सुविधाएं
(iii) इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
(iv) रेल हेड

सह विकासक ने मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (संचालित या मैनुअल) के लिए प्रस्ताव को वापस ले लिया।

**(vi) महादेवपुरा, के आर पुरम, बंगलौर में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स गोपालन इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में) |
|---|---|---|---|
| 1. | सर्विस अपार्टमेंट | 25,000 | प्रत्येक 100 वर्गमीटर की 250 यूनिट |
| 2. | अस्पताल / कर्मचारी कल्याण सुविधा - चिकित्सा केन्द्र / रिटेल / शॉपिंग / कार्यालय / बैंक | 12,000 | 12,000 (140 बिस्तर वाला अस्पताल) |
| 3. | रिटेल शॉपिंग / ऑफिस / बैंक | 25,000 | 25,000 |
| 4. | फूड कोर्ट / रेस्टोरेंट / कॉफी शॉप | 5,000 | 5,000 |
| 5. | एंटरटेनमेंट एरिया | 14,000 | 14,000 |
| 6. | सम्मेलन हाल | 14,000 | 14,000 |
| 7. | विद्‌युत | 100 मेगावाट | 100 मेगावाट |

**(vii) नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में चर्म तथा चर्म उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स भारतीय इंटरनेशनल एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन | प्रसंस्करण क्षेत्र | गैर प्रसंस्करण क्षेत्र | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा पुलिस चौकियां | ✓ | ✓ | पार्क के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश एवं निकास सुरक्षा / पुलिस कार्यालय, लगभग 15 सुरक्षा बिंदु (सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए कार्यालय स्थान डिफाल्ट के रूप में शामिल है जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक नहीं है) | अनुमोदित |
| 2. | कार्यालय स्थान / शॉपिंग क्षेत्र | ✓ | ✓ | प्रशासन भवन - 1500 | अनुमोदित |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | / रिटेल स्पेस / मल्टीप्लेक्स | | | वर्गमीटर<br>सीमा शुल्क कार्यालय - 750 वर्गमीटर<br>निवेशक सेवा केंद्र - 750 वर्गमीटर<br>पार्क प्रबंधन एवं सुरक्षा कार्यालय - 1000 वर्गमीटर | |
| 3. | आवास | | ✓ | 250 प्रबंधक - 50000 वर्गमीटर<br>750 कार्यपालक - 120500 वर्गमीटर<br>7,500 कामगार - 168750 वर्गमीटर | अनुमोदित इसे चरणबद्ध ढंग से विकसित किया जाएगा। |
| 4. | होटल / सर्विस अपार्टमेंट | | ✓ | होटल - 60000 वर्गमीटर<br>अतिथि गृह - 1000 वर्गमीटर | सर्विस अपार्टमेंट और अतिथि गृह - 2000 वर्गमीटर |
| 5. | क्लीनिक / चिकित्सा केन्द्र / अस्पताल | | ✓ | 500 वर्गमीटर | अनुमोदित |
| 6. | स्कूल / तकनीकी संस्थान / शैक्षिक संस्थान | | ✓ | 3500 वर्गमीटर | अनुमोदित |
| 7. | मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित / मैनुअल) | | ✓ | सिंगल लेवल | अनुमोदित |
| 8. | व्यवसाय / सम्मेलन केन्द्र | | ✓ | 4500 वर्गमीटर | अनुमोदित |
| 9. | पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र | | ✓ | -- | अनुमोदित |
| 10. | विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित) | ✓ | ✓ | पार्क के अंदर 4 मेगावाट बैकअप पावर | अनुमोदित |
| 11 | प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली | ✓ | ✓ | -- | अनुमोदित |
| 11. | फायर स्टेशन, स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम | ✓ | ✓ | फायर स्टेशन - 250 वर्गमीटर | अनुमोदित |
| 12. | क्लब हाउस, इंडोर / आउटडोर | | ✓ | 2000 वर्गमीटर | अनुमोदित |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | गेम तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं | | | | |
| 13. | कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं | | ✓ | बैंक एवं एटीएम - 250 वर्गमीटर<br>डाकघर - 350 वर्गमीटर<br>क्रेच - 250 वर्गमीटर<br>पुस्तकालय - 400 वर्गमीटर | एटीएम को छोड़कर अनुमोदित |
| 14. | खेल के मैदान | | ✓ | -- | अनुमोदित |
| 15. | बस बे | ✓ | ✓ | -- | अनुमोदित |
| 16. | कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस | | ✓ | साझी रसोई - 500 वर्गमीटर<br>विकेन्द्रीकृत कैंटीन / कैफेटेरिया - 1000 वर्गमीटर | अनुमोदित |

होटल के लिए अनुरोध को मंजूरी प्रदान नहीं की गई।

बैंकों की आवश्यकताओं के आधार पर एटीएम के लिए अनुरोध पर अलग से विचार किया जाएगा।

**मद संख्या 33.7 : मैसर्स सेलेक्टो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में अनुमोदित अधिकृत प्रचालनों में संशोधन**

विचार विमर्श के बाद, अनुमादन बोर्ड ने गेस्ट हाउस तथा मल्टी लेवल कार पार्किंग के टॉप पर रुफटॉप हेलीपैड के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमादन बोर्ड ने होटल के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

**(ii) मैसर्स टीआरआईएल इनफोपार्क लिमिटेड द्वारा तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में अनुमोदित अधिकृत प्रचालनों में संशोधन**

विचार विमर्श के बाद, अनुमादन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 1500 सीटर इंटीग्रेटेड कंवेंशन सेंटर के लिए मैसर्स टीआरआईएल इनफोपार्क लिमिटेड के अनुरोध को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

**(iii) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को संचालित करने के लिए मैसर्स क्वेस्ट एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई मंजूरी में संशोधन**

विचार विमर्श के बाद, अनुमादन बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में पहले अनुमोदित अधिकृत गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान करके बेलगाम, कर्नाटक में प्रीसीजन इंजीनियरिंग उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स क्वेस्ट एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए अनुमोदन में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

| **क्र. सं.** | **अधिकृत प्रचालन** | **गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में पहले अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)** | **अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)** |
|---|---|---|---|
| 1. | कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप और कैटरिंग की सुविधाएं (4) | 1000 | 1000 |
| 2. | प्रशिक्षण कक्ष / सम्मेलन हाल / प्रेक्षागृह (4) | 2000 | 2000 |

**मद संख्या 33.8 : एसईजेड के क्षेत्रफल एवं लोकेशन में परिवर्तन के लिए अनुरोध**

**(i) भीमासार, तालुक अंजार, जिला कच्छ, गुजरात में पॉलिमर आधारित एसईजेड के लोकेशन में परिवर्तन तथा क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एशिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने लोकेशन को भीमासार से बदलकर कुटडा तालुक करने के लिए मैसर्स एशिया पैसिफिक कार्पोरेशन लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने कुटडा तालुक, गुजरात में पॉलिमर आधारित एसईजेड की स्थापना के लिए क्षेत्रफल को 101.17 हेक्टेयर से बढ़ाकर 107.25 हेक्टेयर करने के अनुरोध को भी मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 33.9 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध**

**(i) 3ए, सेक्टर 126, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 16.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित एसईजेड में 1.49 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 18.40 हेक्टेयर हो जाएगा।

**(ii) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में अधिसूचित बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एमएडीसी का अनुरोध**

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि विकासक अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल में बार बार परिवर्तन करने के लिए अनुरोध कर रहा है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस निर्देश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि विकासक दृढ़ प्रस्ताव के साथ वापस आए।

**(iii) कोयंबटूर के पास कीरांथम गांव, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने बढ़ाए जाने वाले क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं किया है। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने विकासक को यह निदेश देते हुए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि वे अतिरिक्त क्षेत्रफल के साथ वापस आ सकते हैं।

**(iv) वल्लारपदम में पोर्ट में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अतिरिक्त भूमि जोड़ने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध**

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि इस एसईजेड के संबंध में ऐसे मुद्दे हैं जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। बताया गया कि राजस्व विभाग के सरोकारों पर वाणिज्य विभाग विचार कर रहा है तथा वर्तमान प्रस्ताव पर निर्णय को प्रभावित किए बगैर अलग से इन सरोकारों / मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने वल्लारपदम, पुथुव्यपीन में 115.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पहले से अधिसूचित एसईजेड में 31.9711 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि शामिल करने के लिए, जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 147.2211 हेक्टेयर हो जाएगा, मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के अनुरोध को सन्निकटता बनाए रखने तथा संबंधित विकास आयुक्त से कब्जा / स्वामित्व, गैर भारग्रस्तता, सन्निकटता और रिक्तता पर रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(v) पेरुंगलाथूर, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने पेरुंगलाथूर, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 33.10 : क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध**

**(i) श्रीनगर तथा रिविरयाल गांव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एफटीडब्ल्यूजेड के साथ सेमीकंडक्टर के निर्माण एवं विकास की सुविधा स्थापित करने के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपस्ट्रीम या वर्टिकल चैन डाउनस्ट्रीम में निवेश करने के लिए प्रावधान के साथ सेमीकंडक्टर डिवाइस, सोलर फोटोवाल्टिक सेल एवं माड्यूल तथा सोलर फोटोवाल्टिक थिन फिल्म माड्यूल को शामिल करके क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स फैब सिटी एसपीवी (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एफटीडब्ल्यूजेड के साथ सेमीकंडक्टर के निर्माण एवं विकास की सुविधा स्थापित करने के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपस्ट्रीम या वर्टिकल चैन डाउनस्ट्रीम में निवेश करने के लिए प्रावधान के साथ सेमीकंडक्टर डिवाइस, सोलर फोटोवाल्टिक सेल एवं माड्यूल तथा सोलर फोटोवाल्टिक थिन फिल्म माड्यूल को शामिल करके क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स फैब सिटी एसपीवी (इंडिया) लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 33.11 : कंपनी में आठ और निदेशकों को शामिल करने को रिकार्ड में लेने तथा पूंजी संरचना में वृद्धि करने और एफडीआई को भी शामिल करने के लिए एसआईपीसीओटी द्वारा श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर एसईजेड में सह विकासक मैसर्स टैप्प सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक द्वारा उल्लिखित स्थिति को नोट किया।

**मद संख्या 33.12 : मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड, जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, के संबंध में अगले 5 वर्षों के लिए एलओए का नवीकरण**

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि एसईजेड में प्लास्टिक यूनिटों के मंजूरी पत्रों के नवीकरण के मुद्दे पर 16 मई 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई थी। उस समय इन यूनिटों के मंजूरी पत्रों की वैधता अवधि इस वजह से बढ़ाई गई कि इन यूनिटों में कर्मचारियों के हजारों परिवार इन यूनिटों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, महसूस किया गया कि भविष्य में तीन से पांच वर्ष की अवधि का नोटिस देने के बाद इन यूनिटों को धीरे धीरे बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पिछली बार यह भी निर्णय लिया गया था कि ऐसी यूनिटों के लिए नीति बनाई जाए। विचार विमर्श बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स प्लासिटक प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, को एक साल के लिए अर्थात 31 मार्च 2010 तक इस निदेश के साथ विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया कि इस मुद्दे पर नीति तैयार की जाएगी।

**मद संख्या 33.13 : विलायत, जीआईडीसी, भड़ूच, गुजरात में रसायनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में कैप्टिव पावर प्लांट से अनन्य रूप से कोयले की प्राप्ति (आवक) और उड़न राख के निस्तारण (जावक) के लिए आपातकालीन निकास द्वार के लिए मैसर्स जुबिलेंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अनुरोध बहुत स्पष्ट नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने विलायत, जीआईडीसी, भड़ूच, गुजरात में केमिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में कैप्टिव पावर प्लांट से कोयले की प्राप्ति (आवक) और उड़न राख के निस्तारण (जावक) के लिए अनन्य रूप से आपातकालीन निकास द्वार के लिए मैसर्स जुबीलेंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को इस निर्देश के साथ आस्थगित करने का निर्णय लिया कि विकासक अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

**मद संख्या 33.14 : (i) 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध**

**(ii) 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में राय, सोनीपत, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध**

**(iii) 10.4813 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध**

**(iv) 10.239 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भुवनेश्वर, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध**

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि एसईजेड के विमुक्तीकरण के लिए एसईजेड योजना में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, भले ही विकासक ने प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभों को वापस करने का वचन दिया हो और अनुमोदन बोर्ड तद्नुसार मुद्दे पर निर्णय ले सकता है। इस मुद्दे पर बैठक में उपस्थित विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि की राय ली गई और उन्होंने बताया कि हालांकि एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है परंतु अधिनियम के सामान्य खंडों के अनुसार अधिसूचित करने की शक्ति में विमुक्त करने की शक्ति भी शामिल होती है। महानिदेशक, ईपीसीईएस की भी यह राय थी कि ईओयू के अंतर्गत यूनिटों की तरह एसईजेड यूनिटों को भी बाहर निकलने की अनुमति होती है। इसी तरह ऐसे एसईजेड को भी क्विट करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिनके लिए जारी रखना कठिन हो सकता है। यद्यपि मौजूदा एसईजेड नियमावली के तहत एसईजेड के विमुक्तीकरण के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, एसईजेड के लिए भी उपयुक्त प्रावधान किए जाने चाहिए। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड तरलता की गंभीर किल्लत का सामना कर रहा है और परियोजनाओं को जारी रखने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने विमुक्तीकरण के लिए उपर्युक्त 4 प्रस्तावों के संबंध में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभों तथा क्रियाशील / अनुमोदित यूनिटों का ब्यौरा प्रदान करने का अनुरोध किया जिसे निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :

| क्र. सं. | विकासक का नाम | लोकेशन | अनुमोदित | प्राप्त किए गए |
|---|---|---|---|---|

| | | | यूनिटें | ड्यूटी लाभों का ब्यौरा |
|---|---|---|---|---|
| 1. | डीएलएफ लिमिटेड | भुवनेश्वर, उड़ीसा | शून्य | शून्य |
| 2. | डीएलएफ लिमिटेड | गांधीनगर, गुजरात | शून्य | 10.72 लाख रुपए |
| 3. | डीएलएफ लिमिटेड | कोलकाता, पश्चिम बंगाल | शून्य | 1.80 करोड़ रुपए |
| 4. | डीएलएफ लिमिटेड | राय, सोनीपत, हरियाणा | शून्य | 25.50 लाख रुपए |

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने गांधी नगर, गुजरात; राय, सोनीपत, हरियाणा; कोलकाता, पश्चिम बंगाल और भुवनेश्वर, उड़ीसा में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विमुक्तीकरण के लिए संबंधित प्राधिकारियों से इस आशय की पुष्टि प्राप्त करने अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर आदि सहित सभी लाभ जो एसईजेड होने के रूप में प्राप्त किए गए हैं, वापस कर दिए गए हैं। उपर्युक्त पुष्टि की प्राप्ति के बाद ही इन एसईजेड को विमुक्त करने के लिए सरकारी आदेश जारी किया जाएगा। वाणिज्य विभाग एसईजेड के विमुक्तीकरण के लिए अधिनियम / नियमावली में उपयुक्त प्रावधानों का भी प्रस्ताव करेगा।

**मद संख्या 33.15 : औपचारिक अनुमोदनों को वापस लेना**

**(i) तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब में टेक्सटाइल क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मृदुल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी वापस लेना**

**(ii) तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विविध इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी वापस लेना**

पंजाब सरकार के प्रतिनिधि के अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त दो अनुरोधों को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 33.16 : सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाना**

| क्र. सं. | विकासक का नाम | क्षेत्र | एसईजेड का लोकेशन | सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| (क) | मैसर्स राइटर्स एंड पब्लिशर्स | बहु उत्पाद | गांव बुधनिया, बड़ा बंगारडा, | शून्य |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | लिमिटेड | | इंदौर, मध्य प्रदेश | |
| (ख) | मैसर्स वीडियोकॉन रियल्टी एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | बहु उत्पाद | ग्नाडोली, अदगांव, जिला औरंगाबाद | शून्य |
| (ग) | मैसर्स इंडियाबुल्स इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड | बहु उत्पाद | जिला रायगड | 10 प्रतिशत |
| (घ) | मैसर्स रेवास पोर्ट्स लिमिटेड | बहु उत्पाद | रेवास जिला, रायगढ़, महाराष्ट्र | 28.87 प्रतिशत भूमि खरीदी है। शेष भूमि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंतरण के लिए अनुमोदित की गई है तथा जुलाई 2009 में पट्टा विलेख निष्पादित होगा। |

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए दिशानिर्देशों / मानदंडों जो 15 जनवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किए गए थे, के अनुसार ऐसे मामलों को अनुमोदन बोर्ड विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा जो अनुमोदित कसौटियों को पूरा नहीं करते हैं। उपर्युक्त 4 प्रस्ताव अनुमोदित कसौटियों को पूरा नहीं करते हैं। अनुमोदन बोर्ड ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि ऐसे मामलों में अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जहां कोई भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स इंडिया बुल्स इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स रेवास पोर्ट्स लिमिटेड के संबंध में एक साल की अगली अवधि के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया। अन्य दो विकासकों के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया।

**(ii) दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि परियोजना में विकासक द्वारा किए गए भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए मूल वैधता अवधि के बाद एक साल के लिए फाइल पर सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई गई है और विशेष मामले के रूप में पुष्टि के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव की पुष्टि की।

**मद संख्या 33.16 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

**(i) 2 साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध**

23 अगस्त, 2010 के बाद एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई।

**(ii) 2 साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एलएंडटी फीनिक्स इनफोपार्क्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम एपी टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड था) का अनुरोध**

15 जून, 2010 के बाद एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई।

**(iii) 2 साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध**

23 अगस्त, 2010 के बाद एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई।

**(iv) औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बंगाल शपूरजी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध 23 अगस्त, 2010 के बाद एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई।**

**(v) 4 साल के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कर्नाटक बायोटेक्नोलॉजी एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज का अनुरोध**

25 अक्टूबर, 2010 के बाद एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई।

**(vi) 3 साल के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बजाज होल्डिंग्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध**

6 अप्रैल, 2010 के बाद एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई।

**(vii) 2 साल के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओरियंट क्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

16 अगस्त, 2010 के बाद एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई।

**(viii) 3 साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट अथॉरिटी का अनुरोध**

13 जून, 2010 के बाद एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई।

**(ix) औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सेरीन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

30 अक्टूबर, 2010 के बाद एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई।

**(x) औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स न्यू फाउंड प्रापर्टीज एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

20 अगस्त, 2010 के बाद एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई।

**(xi) 3 साल के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लैंको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

22 अगस्त, 2010 के बाद एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई।

**(xii) 2 साल के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स दिव्यश्री एनएसएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

21 अगस्त, 2010 के बाद एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई।

**(xiii) अहमदाबाद, गुजरात में फर्मास्युटिकल एसईजेड के लिए प्रचालनों की गतिविधियां शुरू करने की तारीख 6 माह आगे खिसकाने के लिए मैसर्स सीपीएल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

15 जून, 2010 के बाद एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई।

**(xiv) इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी पार्क के लिए 14 जून, 2010 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेडीकैप्स आईटी एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध**

**(xv) इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी पार्क के लिए 26 जून, 2010 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सीएमसी लिमिटेड का अनुरोध**

**(xvi) मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 26 जून, 2010 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध**

**(xvii) मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 21 जून, 2010 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध**

**(xviii) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 31 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

30 अक्टूबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

**(xix) वेरना औद्योगिक क्षेत्र, गोवा में बहु सेवा एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स के रहेजा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

24 अक्टूबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

**(xx) रायगड जिला, महाराष्ट्र में बहु सेवा एसईजेड के लिए 27 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सिनिमा मिडोज लिमिटेड (क्लैरिजेज एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड में परिवर्तित करने के लिए) का अनुरोध**

26 जून 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

**(xxi) पोंडा, गोवा में फर्मास्युटिकल तथा रासायनिक उत्पाद एसईजेड के लिए 23 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेडीटैब स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

एक साल के लिए 22 अगस्त, 2010 तक अवधि बढ़ाई गई।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि फाइल पर इन मामलों पर विचार किया जा चुका है तथा एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है और अनुमोदन बोर्ड के सूचनार्थ इन्हें रखा गया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इसे नोट किया।

**मद संख्या 33.17 : 5 साल की अगली अवधि के लिए एलओपी के नवीकरण के लिए मैसर्स समीर इंडस्ट्रीज, केएसईजेड में यूनिट का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट द्वारा पहले की गई अपील को 2 जनवरी 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जीसीसीबी से समेकित सहमति एवं प्राधिकार प्राप्त न करने के लिए 10 फरवरी 2005 को प्रचालन बंद करने के लिए उनको नोटिस जारी किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अब यूनिट ने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, जिसने कॉपर आदि जैसे नानफेरस मेटल स्क्रैप के प्रसंस्करण के लिए कांडला एसईजेड में औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिए एनओसी जारी किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी यूनिट को सूचित किया है कि नानफेरस मेटल स्क्रैप की प्रोसेसिंग प्रदूषण नियंत्रण नियमावली के अधीन प्रतिबंधित नहीं है और प्लांट के प्रचालन के लिए गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति पर्याप्त है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानदंडों का

कड़ाई से पालन करने के अधीन 5 साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 33.18 : सचिन, सूरत, गुजरात में एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने के संबंध में अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स बिंदल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट का प्रतिनिधि मामले को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त की है कि आवेदक ने सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अनेक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ये उल्लंघन न केवल तकनीकी प्रकृति के हैं अपितु सारवान प्रकृति के भी हैं। अत: फर्म को कोई स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व इन आरोपों की जांच की जानी चाहिए। राजस्व विभाग द्‌वारा प्रस्तुत स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स बिंदल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील को अस्वीकार कर दिया।

**मद संख्या 33.19 : 2.40 मीटर की ऊंचाई वाली चारदीवारी के ऊपर 0.6 मीटर की कटीले तार की फेंसिंग लगाने की शर्त में ढील के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने 2.40 मीटर की चारदीवारी के ऊपर 0.6 मीटर की कटीले तार की फेंसिंग लगाने की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि चारदीवारी की कुल 2.40 मीटर की ऊंचाई पर्याप्त हो सकती है। चारदीवारी की ऊंचाई प्लिंथ लेवल से ऊपर 1.8 मीटर और 0.6 मीटर की कटीले तार की फेंसिंग या कुल 2.40 मीटर हो सकती है। तद्‌नुसार अनुमोदन बोर्ड ने कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहुसेवा के लिए उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्‌वारा 2.40 मीटर की चारदीवारी के ऊपर 0.6 मीटर की कटीले तार की फेंसिंग लगाने की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(ii) 1.8 मीटर की चारदीवारी को अनुमोदित करने के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक प्लिंथ लेवल के ऊपर 1.8 मीटर की चारदीवारी तथा 0.6 मीटर के कटीले तार की फेंसिंग का निर्माण करना चाहता है। चूंकि इससे निर्धारित आवश्यकता पूरी हो रही है इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

इस संदर्भ में अनुमोदन बोर्ड ने चारदीवारी के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित करने का निर्णय लिया :

(क) आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में विकास आयुक्त द्वारा चारदीवारी की ऊंचाई का निर्धारण किया जाएगा।

(ख) अन्य एसईजेड के संबंध में, दीवार की ऊंचाई 2.4 मीटर या 1.8 मीटर प्लस 0.6 मीटर की कटीले तार की फेंसिंग के रूप में हो सकती है।

(ग) किसी विचलन के लिए, निर्णय के लिए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड को संदर्भित किए जा सकते हैं।

**मद संख्या 33.20 : अतिरिक्त फाटकों के लिए अनुरोध**

**(i) दूसरे गेट के लिए मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में दूसरे फाटक के लिए मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(ii) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में 4 स्थायी और अस्थायी फाटकों के अनुमोदन के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में अपने बहु उत्पाद एसईजेड में 3 स्थायी फाटकों और 6 अस्थायी फाटकों के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि विकासक ने न तो अतिरिक्त फाटकों को दर्शाने वाली कोई ड्राइंग प्रदान किया है और न ही उनके प्रयोग का कोई समुचित औचित्य प्रदान किया है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने तक मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में 3 स्थायी फाटकों और 6 अस्थायी फाटकों के अनुमोदन के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के अनुरोध को अनुमोदित न करने का निर्णय लिया।

**पूरक एजेंडा**

समयाभाव के कारण पूरक एजेंडा पर चर्चा नहीं हो सकी। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अपनी अगली बैठक में पूरक एजेंडा की मदों को लेने का निर्णय लिया।

******